भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES INDIA भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES INDIA

15

समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

प्रकरण क्र /2016 पुनर्विलोकन Rev-1617-II-16

1. धापू बाई पुत्री स्व0 श्री मोतिलाल निवासी आबास कालोनी रेहटी जिला सीहोर म.प्र.
2. श्रीमती शोभा बाई पत्नि श्री शिवनारायण निवासी बस स्टेण्ड रेहटी जिला सीहोर म.प्र

श्री .... द्वारा आज दि 25-5-16 को प्रस्तुत

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

..........आवेदकगण

विरूद्ध

कमल सिंह आ0 खुमान सिह निवासी ग्राम लुम्बिनी परिसर अम्बेडकर नगर माता मंदिर भोपाल जिला भोपाल म.प्र

...........अनावेदक

25-5-16

पुनर्विलोकन याचिका अन्तर्गत म.प्र. भू-राजस्व सहिता , 1959 की धारा 51 के तहत निगरानी 1563/पीबीआर /2015 मे पारित आदेश दिनांक 12.1.2016 को पुर्नविलोकन किये जाने वावत ।

श्रीमान जी,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्नानुसार है। :-

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है-

1. यहकि, अधिनस्थ न्यायालय रेहटी तहसीलदार महोदय जिला सीहोर म.प्र के राजस्व प्रकरण क 24/अ-27/2008-09 मे पारित आदेश दिनांक 18.2.2009 के एवं संशोधन पंजी क 03 की प्रविष्ट से परिवेदित होकर अनावेदक कमल सिह द्वारा काफी लम्बे समय के वाद अनुविभागीय अधिकारी बुधनी जिला सीहोर के वर्ष 2013 मे प्रस्तुत की गई जिस अधिनस्थ न्यायालय की अनावेदक पक्ष को पूर्व

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक पुनर्विलोकन 1617–तीन/2016 जिल–सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03–4–2017	आवेदक द्वारा यह पुनर्विलोकन आवेदन म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के तहत मेरे पूर्व अधिकारी द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 1563–पीबीआर/2015 में पारित आदेश 12–1–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। आवेदक को पुनर्विलोकन के ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं इस न्यायालय के मूल प्रकरण का अवलोकन किया गया। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता, 1908 की धारा 114 आदेश 47 नियम (1) में पुनर्विलोकन के लिए निम्नलिखित तीन आधारों का उल्लेख है :– 1. किसी नई या महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना, जो सम्यक तत्परता के पश्चात् भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नही थी, अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी; या 2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती या 3. कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदक द्वारा तर्क के दौरान ऐसी कोई नई बात अथवा तथ्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जो मूल निगरानी में आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं किये गये हों, न ही अभिलेख में परिलक्षित कोई त्रुटि ही बतलाई गई है। आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा इस न्यायालय में जिन तथ्यों को इंगित किया है उनका निराकरण निगरानी प्रकरण कमांक 1563–पीबीआर/2015 के मूल आदेश दिनांक 12–1–2016 में मेरे पूर्व अधिकारी द्वारा आदेश पारित कर, किया जा चुका है। 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	